राजस्व प्रार्थना पत्र 109 / 2024
जीसीएमएसम नंबर 2024 / 382
मनोहरलाल उपाध्याय बनाम सरकार

रिपोर्ट में मनोहरलाल के स्थान मनोहरलाल उपाध्याय किये जाने की अभिशंषा के संबंध में उल्लेख किया है जिस कारण प्रार्थी की यह इस्तदुआ स्वीकार योग्य प्रतीत पाई गई है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि मनोहरलाल उपाध्याय एवं मनोहरलाल दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम डोडू के खाता संख्या 18 के खसरा नंबर 650 / 392, 652 / 92 में दर्ज खातेदार नाम मनोहरलाल के स्थान पर वास्तविक नाम मनोहरलाल उपाध्याय दुरूस्त / दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम डोडू तहसील डेह की नकल जमाबंदी खाता संख्या 18 में वर्णित खसरान् 650 / 392, 652 / 92 में दर्ज नाम मनोहरलाल के स्थान पर मनोहरलाल उपाध्याय दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31-01-2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner